

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण


छीतर वगै०

बनाम

कल्याण वगै०

नं० :- 91/2023

देनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.04.2024	<p>पत्रावली आज कोर्ट कैम्प न्यायालय हाजा में पेश हुई। कोर्ट कैम्प की सूचना अधिवक्ता संघ को जरिये पत्र द्वारा पूर्व में दी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजि० डाक से दिनांक 27.06.23 को करवाई गई। लेकिन आदिनांक तक बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। आज भी अप्रार्थीगणों को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नहीं। अतः अप्रार्थी सं० 1 व 2 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार ने अपने पत्रांक:आर.टी./2024/265 दिनांक 28.03.24 द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल मिसल किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बिन्दु सं० 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 73 रकबा 0.7600 है, ग्राम थली तहसील आंधी की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।</p> <p>अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 0.7600 है में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।</p> <p>निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ